

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

सं0सं09/विविघ0-13-41/2016 - 1358 (7)

अधिसूचना

राज्य के अस्पतालों में चिकित्सा पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को 24x7 सेवा के सूचारु संचालन हेतु विभागीय आदेश संख्या- 47(5) दिनांक 03.06.2016 एवं 497(3) दिनांक 24.08.2016 के आलोक में राज्य स्वास्थ्य समिति पटना स्थित दूरभाषीय अनुश्रवण कोषांग द्वारा चिकित्सा पदाधिकारियों की उपस्थिति का रोस्टरवार अनुश्रवण के क्रम में कुल 21 चिकित्सा पदाधिकारी अनुपस्थित पाये गये थे। सभी चिकित्सा पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण की माग की गई थी, जिसमें मात्र 10 चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब दिया गया जिसे संतोषजनक पाया गया बाकी स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा। इनके द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का प्रतिउत्तर नहीं समर्पित करना इस बात का द्योतक है कि उन्हें अपने बचाव बयान में कुछ नहीं कहना है। अतः अनुश्रवण के दौरान अधोल्लेखित अनुपस्थित पाये गये चिकित्सा पदाधिकारियों के विरुद्ध निम्नलिखित लघु दंड अधिरोपित करने का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है:-

(क) एक दिन का वेतन कटौती की जाती है।( एक दिन की सेवा पेंशन प्रदाई मानी जायेगी)

(ख) एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

क्रमांक	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान
1.	डा0 प्रमोद कुमार गौतम	चिकित्सा पदाधिकारी	सिविल सर्जन कार्यालय, सहरसा
2.	डा0 श्रीनंदन प्रसाद	चिकित्सा पदाधिकारी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैसा पूर्णिया
3.	डा0 साजिद	चिकित्सा पदाधिकारी	अनुमंडलीय अस्पताल पूसा, समस्तीपुर
4.	डा0 ए0 अहमद	चिकित्सा पदाधिकारी	रेफरल अस्पताल, खँजेकाला चॉद, वैशाली
5.	डा0 संजीव कुमार	चिकित्सा पदाधिकारी	सदर अस्पताल, अरवल
6.	डा0 ओ0 पी0 लाल	चिकित्सा पदाधिकारी	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, कुचायकोट, गोपालगंज
7.	डा0 चंद्रशेखर प्रसाद	चिकित्सा पदाधिकारी	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, मशरख, सारण
8.	डा0 राजीव रंजन	चिकित्सा पदाधिकारी	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, मशरख, सारण
9.	डा0 ईला मिश्रा	चिकित्सा पदाधिकारी	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, चंडी, नालंदा
10.	डा0 अविनाश कुमार	चिकित्सा पदाधिकारी	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, कांको जहानाबाद

उपरोक्त सभी चिकित्सा पदाधिकारियों को दंड अधिरोपित किया जाता है।

ह0/-

(नागेन्द्र प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव,  
स्वा0 विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 1358(9)

/स्वा0, पटना, दिनांक: 19/12/2016

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, (ले0 एवं ह0) बिहार पटना / अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सहरसा / पूर्णिया / समस्तीपुर / वैशाली / अरवल / गोपालगंज / सारण / नालंदा / जहानाबाद सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सिविल सर्जन सहरसा / पूर्णिया / समस्तीपुर / वैशाली / अरवल / गोपालगंज / सारण / नालंदा / जहानाबाद को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव / प्रधान सचिव स्वा0 के निजी सहायक / निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार पटना / प्रशाखा पदाधिकारी 1,2,3,5,7,8,9,10,12,17 एवं 18 (प्रो0 को0) स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव